"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 522 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 — अश्विन 14, शक 1945

## नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

### अधिसूचना

कमांक एफ 1—219/2019/18.— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (कमांक 23 सन् 1956) की धारा 405 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित वार्डो की चर्तुसीमा को नगर पालिक निगम कोरबा, जिला—कोरबा की वर्तमान सीमा से पृथक करते हुए नगरपालिका परिषद् बांकी मोंगरा, जिला—कोरबा का गठन करता है:—

## अनुसूची -1

नगर पालिक निगम कोरबा, जिला–कोरबा की सीमा से पृथक किये जाने वाले क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है:–

| क्रमांक | क्षेत्र का नाम             | वार्ड का नाम | जनसंख्या वर्ष 2011 |
|---------|----------------------------|--------------|--------------------|
|         |                            |              |                    |
| 1       | गेवरा                      | 60           | 5651               |
| 2       | आदर्श नगर                  | 61           | 5234               |
| 3       | नरईबोध                     | 62           | 5984               |
| 4       | मोंगरा                     | 63           | 5883               |
| 5       | घुड़देवा                   | 64           | 5754               |
| 6       | बांकी मोंगरा वार्ड कमांक 1 | 65           | 5985               |
| 7       | बांकी मोंगरा वार्ड कमांक 2 | 66           | 5951               |
| 8       | गजरा                       | 67           | 5855               |

## अनुसूची –2

नगरपालिका परिषद् बांकी मोंगरा, जिला-कोरबा की सीमाएं निम्नानुसार है:-

गेवरा वार्ड क्रमांक 60, आदर्श नगर वार्ड क्रमांक 61, नरईबोध वार्ड क्रमांक 62, मोंगरा वार्ड क्रमांक 63, घुड़देवा वार्ड क्रमांक 64, बांकी मोंगरा वार्ड क्रमांक 65, बांकी मोंगरा वार्ड क्रमांक 66, गजरा वार्ड क्रमांक 67.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी.एस. ध्रुव, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

कमांक एफ 1—219/2019/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1—219/2019/18 दिनांक 06—10—2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी.एस. धुव, संयुक्त सचिव.

#### Atal Nagar, the 6th October 2023

#### **NOTIFICATION**

No. F 1-219/2019/18.— In exercise of powers conferred by section 405 (1) of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the State Government disestablish the following areas from the limits of Municipal Corporation Korba, Distr-Korba and signify their Constitute Municipal Council Banki Mongra, District-Korba as given in the schedule below:-

#### SCHEDULE-1

The particulars of the areas being disestablished from of the limits of Municipal Corporation Korba is as under :-

| S.No. | Name of area           | Name of ward | Population year (2011) |
|-------|------------------------|--------------|------------------------|
| 1     | Gevra                  | 60           | 5651                   |
| 2     | Aadarsh Nagar          | 61           | 5234                   |
| 3     | Naraibodh              | 62           | 5984                   |
| 4     | Mongra                 | 63           | 5883                   |
| 5     | Ghudhdeva              | 64           | 5754                   |
| 6     | Banki Mongra Ward no 1 | 65           | 5985                   |
| 7     | Banki Mongra Ward no 2 | 66           | 5951                   |
| 8     | Gajra                  | 67           | 5855                   |

#### SCHEDULE-2

The boundaries of Municipal Council Banki Mongra, Distt-Korba is as below:-

The Boundaries of Gevra ward No. 60, Aadarsh Nagar ward No. 61, Naraibodh ward No. 62, Mongra ward No. 63, Ghudhdeva ward No. 64, Banki Mongra ward No. 65, Banki Mongra ward No. 66, Gajra ward No. 67.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, P.S. DHRUV, Joint Secretary.